कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(अभियंत्रण अनुभाग)
कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक–अभि0– / 626 / कम्पनी पत्रा0 / 2026–27 / लखनऊ / दिनांक– 04 जून, 2026

प्रबन्ध निदेशक,
समस्त निर्माता कम्पनी।

विषय– **Centralized Coding Systems for agriculture machines and equipments under subsidy programmes- clarification regarding.**

समस्त कृषि यंत्र निर्माता कम्पनियों को अवगत कराना है कि भारत सरकार के द्वारा जारी पत्र –13–30 / 2023–M&T(I&P)(124416) दिनांक–12.09.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कृषि यंत्र निर्माता कम्पनियों को विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों में बताये गये फान्ट, प्रकार और आकार का अनुपालन करना होगा। हालाँकि विभिन्न मशीनों के डिजाइन एवं उपलब्ध स्थान की कमी को देखते हुए कृषि यंत्र निर्माता कम्पनियों को दिशा–निर्देश में बताये गये आकार से छोटा फान्ट, आकार इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, जिसे मशीनों के मुख्य भाग पर सुविधाजनक रूप से अंकित किया जा सके। साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोड स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य तथा आसानी से दिखाई देने वाला हो।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
NARENDRA KUMAR
Date: 04-06-2026
10:46:52
संयुक्त कृषि निदेशक(अभि0)
कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक–अभि0– / 626 / कम्पनी पत्रा0 / 2026–27 / लखनऊ / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कृषि निदेशक उ0प्र0, महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. हैदराबाद मेपसेट्स इण्डिया, बी–329 / मैपसेट्स, 13 / 19 आर0बी0सी0, नन्जल राय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित समस्त कृषि यंत्र निर्माता कम्पनियों को उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित करने का कष्ट करें।

संयुक्त कृषि निदेशक(अभि0)
कृषि भवन, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

No. 13-30/2023-M&T (I&P) (124416)
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
(Department of Agriculture & Farmers Welfare)
(Mechanization & Technology Division)

547, Krishi Bhawan, New Delhi
Dated the 12th September 2023

Subject: Centralized Coding Systems for agriculture machines and equipments under subsidy programmes – clarifications regarding.

This is in reference to the representations received from various agricultural machinery manufacturers/manufacturing associations regarding difficulties being experienced in font type and font size on agriculture machines, while following central coding system guidelines issued by the DA&FW.

In this regard, it is clarified that the manufacturers should follow the font type and size as indicated in the guidelines issued by the Department. However, depending on the machine design and space constraints for various machines, the manufacturers are allowed the font size lesser than that is indicated in the guidelines which can be conveniently put on the body of the machines. However, it should be ensured that the code is clearly identifiable and visible on the machines.

This issues with the approval of competent authority of this Department.

(Dr. V.N. Kale)
Additional Commissioner (Machinery)

To,

1) Agriculture Departments, All State Governments
2) All Machinery Manufacturing Associations
3) All FMTTIs/Identified Testing Institutions
4) PPS to Secretary, DA&FW/PPS to SS(RR) DA&FW/PPS to JS(M&T) DA&FW
6) DC(M&T)-I&II, AC(M&T), AE(M&T)-I&II, Guard File

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner